



Neutral Citation No. - 2013: AHC:51000-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 44625/2023

राजू

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सचिव के माध्यम से और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव कांत मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : राजीव सिंह, स्थाई अधिवक्ता, ब्रजेश कुमार सिंह, महेश नारायण सिंह, सुरेश सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. इस मामले को 'इस उच्च न्यायालय में सबसे पुराने लंबित मामलों' की श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
2. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ('अधिनियम') की धारा 117(6) के तहत जारी दिनांक 14.07.2009 के आदेश (अनुलग्नक-2) को रद्द करने की मांग के साथ दायर की गई है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि विचाराधीन भूमि चरागाह भूमि के रूप में दर्ज थी और उस पर एक विद्यालय स्थित था।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दर्शाया गया है कि खसरा संख्या 484 वाली भूमि राजमेद और ज्ञानी की पत्नी मचला के नाम पर दर्ज थी, हालांकि, बाद में उक्त प्रविष्टियों को अधिनियम की धारा 198(4) के तहत रद्द कर दिया गया और भूमि ग्राम सभा में निहित हो गई, इस तथ्य को छुपाया गया और न्यायालय के समक्ष अपूर्ण राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 3 के पास है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
5. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के कारण याचिकाकर्ता की याचिका में रुचि समाप्त हो गई है और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरण के मद्देनजर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमें वर्तमान याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं मिलता है।
6. परिणामस्वरूप, याचिका खारिज की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।